

न्यायालय: सिविल जज (जूंडिं)/ जे०एम० जलेसर, एटा
उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
वाद संख्या/एफ०आर० संख्या- 60/2024

बोधपाल **-बनाम-** विवेक प्रताप आदि

अपराध संख्या- 59/2023
धारा- 354 बी, 506 भा०दं०सं०
थाना- सकरौली, जिला एटा

दिनांक 06.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले, मु०अ०सं० 59/2023 में वादी मुकदमा को अन्तिम रिपोर्ट पर आपत्ति (प्रोटेस्ट पिटीशन) प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये, जिस पर वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही उसकी ओर से कोई प्रोटेस्ट प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को उक्त अंतिम आख्या पर कोई कोई प्रोटेस्ट दाखिल करना नहीं चाहता है। वादी मुकदमा न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा है तथा दिनांक 19.12.2025 को उसे प्रोटेस्ट दाखिल करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। वादी मुकदमा न्यायालय में आज भी अनुपस्थित है तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या संख्या 19/2023, इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयानात वादी व गवाहन निरीक्षण घटना स्थल, अवलोकन मैडीकल रिपोर्ट, अवलोकन बयान धारा 161/164 सी०आर०पी०सी०, बयान चश्मदीद गवाहन, अवलोकन प्रथम सूचना रिपोर्ट मय आरोप पत्र आदि विवेचनात्मक कार्यवाही से घटना में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। तमामी विवेचना से अभियोग में अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना से सम्बन्धित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अतः साक्ष्य के अभाव में विवेचना जिरिए अन्तिम रिपोर्ट सं० 19/2023 दिनांकित 21.08.2023 को न्यायालय की जाती है। वादी मुकदमा ने भी अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति/ प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत नहीं किया है।

ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आदेश-

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं० 19/2023 दिनांकित 21.08.2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जूंडिं) /
जे०एम०, जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)